

D-128

जप्ती पत्रक

- थाना एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर - जिला रायपुर (छ.ग.)
अपराध क. 09/2015 - धारा 13 (1) डी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 109, 120बी भादवि.
- जप्ती दिनांक समय स्थान - 02.04.2015 के 18.00 बजे / एसडब्ल्यूसी खरसिया जिला रायगढ़
- नाम साक्षी - 1. श्री नरेन्द्र वसावा पिता स्व. श्री चंपक भाई वसावा उम्र 47 वर्ष प्रबंधक (गुण नियंत्रण) भारतीय खाद्य निगम सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ.ग. मो. 08518999935
स्थायी पता:- ए.ए.-8, शिखर बंगलोस, भोलाव, भरुछ गुजरात।
2. श्री अजय प्रताप सिंह पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष तकनिकी सहायक भारतीय खाद्य निगम रायगढ़ छ.ग. मो. 08602222077
स्थायी पता:- जुगराजपुर, जरोवा, हरदोई, उत्तर प्रदेश पिन- 241304
- किससे जप्त किया गया - श्री एम.आर. देवांगन पिता स्व. श्री विशाल देवांगन उम्र 52 वर्ष जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ छ.ग. मो. 08817903512
स्थायी पता:- एमआईजी 2/312 सेक्टर 2 दिनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर।
- जप्त करने वाले अधिकारी का नाम पद - प्रमोद कुमार खेस, निरीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर

विवरण

सीडब्ल्यूसी के गोदाम नंबर 1सी के स्टेक नंबर 01, एसडब्ल्यूसी लोहर्सी-1 स्टेक नंबर 02, एसडब्ल्यूसी बरमकेला के गोदाम नंबर 08 के स्टेक नंबर 03, एसडब्ल्यूसी सारंगढ़ के गोदाम नंबर 04 के स्टेक नंबर 01, गोदाम नंबर 05 के स्टेक नंबर 02, गोदाम नंबर 06 के स्टेक नंबर 12, एसडब्ल्यूसी घरघोड़ा के गोदाम नंबर 04 के स्टेक नंबर 05, एसडब्ल्यूसी लैलूंगा (हीरापुर) के गोदाम नंबर 02 के स्टेक नंबर 12, एसडब्ल्यूसी खरसिया के गोदाम नंबर 08 के स्टेक नंबर 02, गोदाम नंबर 10 के स्टेक नंबर 01 तथा गोदाम नंबर 06 के स्टेक नंबर 03 के सत्यापित परीक्षण रिपोर्ट मांगने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ के द्वारा सत्यापित परीक्षण रिपोर्ट जो कुल 66 पन्नें हैं को प्रस्तुत करने पर समक्ष गवाहों के विधिवत में जप्त किया जाकर वजह सबूत में कब्जे में लिया गया।

हस्ताक्षर गवाह

(1) 
(2) 

हस्ताक्षर जिससे
जप्त किया गया

हस्ताक्षर
जप्तीकर्ता

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थाली)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर (छ.ग.) ए.सी.